राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....192/2018.....जिला.....भरतपुर.....

उनवान – मै0 सिमको लि0, भरतपुर बनाम अपीलीय प्राधिकारी, भरतपुर व सहायक आयुक्त, वृत–बिजनिस ऑडिट, भरतपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/02/2018	**खण्डपीठ** **राजीव चौधरी, सदस्य** **मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जतीन हरजाई एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर के अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील, अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **01.02.2018,** जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, बिजनिस ऑडिट, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक **12.12.2017,** जो कि अधिनियम की धारा 27, 61 01 (1(b)) व 55 के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के लिये पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कर रू0 32,63,061/– व ब्याज रू0 14,03,116/– की कुल बकाया मांग राशि **रू. 46,66,177/–,** की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अपलार्थी द्वारा रेलवे बैगन, सीमेन्ट प्लाण्ट, हाईड्रोलिक गेट्स आदि का विनिर्माण कर विक्रय किया जाता है। व्यवहारी द्वारा वित्तिय वर्ष 2013–14 के दौरान आनॅलाईन रू0 78,82,52,344/– के सी फार्म की खरीद दर्शायी है जबकि रिर्टन 10ए में रू0 72,29,91,142/–खरीद दर्शायी गई हैं। अतः इसे करापवंचन मानते हुए कर रू0 3263061/–, शास्ति रू0 6526122/ व ब्याज रू0 1403116/– का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन चाहने पर अपीलय अधिकारी द्वारा शास्ति राशि रू0 6526122/– का स्थगन स्वीकार कर, कर व ब्याज को यथावत रखा। जिसके विरूद्व यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षीय बहस सुनी गयी । इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा समस्त खरीद अर्न्तरराज्जीय की गई है तथा सी फार्म के समर्थन से की गई है। उक्त समस्त कय को वैट 10ए मे दर्शाया है। अपीलार्थी द्वारा सभी संव्यवहारों को लेखा पुस्तकों मे दर्शाया गया है तथा तदनुसार ही कर का भुगतान किया गया है जिस कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मिथ्या या गलत साबित नहीं किया गया हैं। अतः अपील निर्णय तक कर व ब्याज की राशि पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई। लगातार.....2.	

22/2/18

राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन अपीलार्थी की अपेक्षा विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा समस्त खरीद अर्न्तराज्जीय की गई है तथा सी फार्म के समर्थन से की गई है एवं उक्त समस्त क्रय को वैट 10-ए मे दर्शाया है तथा तदनुसार ही कर का भुगतान किया गया है। किन्तु प्रकरण के इस प्रक्रम (stage) पर गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रकरण/अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष निर्णय हेतु लम्बित है जिसका गुणावगुण पर निस्तारण होना है। अतः कर व ब्याज की राशि की वसूली पर रोक के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन व्यवहारी अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 38(4) के अन्तर्गत प्रकरण में आरोपित कर व ब्याज राशि रू0 46,66,177/- की वसूली पर अपील निर्णय होने तक इस शर्त के साथ रोक लगायी जाती है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे तथा अपीलीय अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण का 3 माह में निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

आदेश सुनाया गया।

सदस्य 22/2/18
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

सदस्य 22/02/18
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर